

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज

पत्रांक:मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/मिलान/ 51 |

दिनांक 25-5-2023

सेवा में

समस्त अधिशासी अभियन्ता
संबन्धित खण्ड,
लो.नि.वि./सिंचाई/ग्रा.अ.वि./ भू. जल एवं अन्य विभाग

विषय- कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली के अंतर्गत किये गये व्यय की मिलान के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभा/ ग्रा.अ.वि./ भू. जल एवं अन्य विभाग में कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली के तहत किये जाने वाले व्यय के मिलान हेतु मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण) अनुभाग का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत केवल ऑनलाइन कोषागार आधारित बजटीय प्रणाली के द्वारा बजट के सापेक्ष किये गये व्यय के चतुर्थ त्रैमास तक के खंडवार आंकड़ों का मिलान किया जाना है। निर्माण समन्वय (प्रकोष्ठ) अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित परिपत्र संख्या: ले.ह.-2/03-नि.स.(प्र.)/126/2023/130 दिनांक 24/05/2023 के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 26/05/2023 तक चतुर्थ त्रैमास तक के प्रोग्रेसिव आकड़े मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण) को उपलब्ध करवाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 (पूरक) की लेखा बंदी की तिथि 02/06/2023 निर्धारित की गयी है। वार्षिक लेखाबन्दी के उपरान्त आकड़ों में किसी भी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा एवं इस कार्यालय के पुस्तांकित आकड़ों ही अंतिम रूप से राज्य सरकार के लेखे में शामिल किये जायेंगे तथा लेखाबन्दी के उपरांत लेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व संबन्धित खण्ड की होगी।

अतः निर्धारित अवधि तक व्यय के आकड़े संलग्न प्रारूप में ई-मेल (dagworkscell@gmail.com) अथवा विशेष वाहक के माध्यम से मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आकड़ों के मिलान हेतु प्रारूप संलग्न है। आगामी वर्षों (2023-24) के आकड़ों का मिलान इस अनुभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।

यह पत्र उप महालेखाकार निर्माण महोदया के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्नक: यथोक्त

वरि. लेखाधिकारी /मिलान प्रकोष्ठ (नि.)

पत्रांक:मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/मिलान/51 | T.R.No.

तददिनांक 25/05/2023

प्रतिलिपि: 1. समस्त संबन्धित वरि. खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाधिकारी को इस आशय प्रेषित उपरोक्तानुसार खण्ड के आकड़ों का मिलान कराना सुनिश्चित करें।

2. वरि. लेखाधिकारी/कम्प्युटर प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र को कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

वरि. लेखाधिकारी /मिलान प्रकोष्ठ (नि.)